भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1747

(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी खबरें

1747. श्रीमती संध्या रायः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी फर्जी खबरों को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): सरकार विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध सांविधिक और संस्थागत तंत्र के तहत फर्जी खबरों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः

- **प्रिंट मीडिया:** समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा बनाए गए "पत्रकारिता आचरण के मानक" का पालन करना आवश्यक है। ये मानक, अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, मानक के कथित उल्लंघनों की जाँच करती है और समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को, यथास्थिति चेतावनी, भर्त्सना या निंदा कर सकती है।

- **टेलीविजन मीडिया:** टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसी कोई सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, मिथ्या और विचारोत्तेजक संकेत और अर्ध-सत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021, में टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहाँ कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहाँ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
- **डिजिटल मीडिया:** सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए, एक आचार संहिता का प्रावधान करते हैं।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जाँच के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

सूचना अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करती है।

*****